निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 168/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

साधूराम पुत्र धोकल राम जाति अहीर निवासी ग्राम निवारू, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 डॉ॰ राकेश कुमार मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम।

2 भगवान सहाय पुत्र भूरा

3 गोविन्दराम पुत्र भूरा

4 गणेश सैनी पुत्र भूरा

5 जगदीश सैनी पुत्र भूरा

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम निवारू, तहसील व जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 6/2018 व टी॰आई॰ प्रार्थना पत्र संख्या 5/2018 ब उनवानी गोविन्दराम बनाम साधूराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.04.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 6/2018 व टी॰आई॰ प्रार्थना पत्र संख्या 5/2018 ब उनवानी गोविन्दराम बनाम साधूराम व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 02 लगायत 05 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना काउन्टर घोषणा का दावा

प्रस्तुत कर रखा है। तत्पश्चात अप्रार्थी 2 लगायत 5 ने उक्त दावे में जबाब दावा प्रस्तुत कर रखा है । जबाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त वाद मे पत्रावली वास्ते तनकीयात दिनांक .....2021 को नियत थी। उक्त तारीख को प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के रीडर से निवेदन किया कि आगामी तारीख दी जावे, किन्तु रीडर ने कहा कि उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट मे रखी गई है, वहीं तय की जावेगी । प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय पर विश्वास करते हुये अपने घर आ गया । घर आने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने दिनाक 10.11.2021 को प्रार्थी जब अपने खेत मे काम कर रहा था, तब धमकी दी कि हमने उक्त जमीन को भू माफिया को जरिये इकरारनामा 2 करोड रूपये प्रति बीघा के हिसाब से विक्रय कर दी है तथा अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि कैम्प कोर्ट में भू माफियाओं ने साहब से सांठ गांठ कर ली है तथा एक पक्षीय कार्यवाही करवा कर हमारे पक्ष में निर्णय करवायेंगे। तत्पश्चात दिनांक 14.11.2015 को एक सफेद रंग की गाडी में 5–7 अजनबी व्यक्ति प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि पर आये और प्रार्थी को कहा कि अभी तो हम आपको राजीखुशी थोडा खर्चा पानी दे सकते है, अन्यथा कैम्प में हम हमारे पक्ष में फैसला करवा कर जबरन आपकी भूमि पर कब्जा कर लेंगे। आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त वाक्यात एवं धटनाओं के आधार पर पूर्ण विश्वास हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को किसी भी प्रकार से न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उपरोक्त प्रकार से उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश प्रदान करें, जिससे प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सकें ।

5. अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान उक्त पत्रावली कैम्प निवारू में रखी गई थी। पत्रावली वर्तमान में तनकियात में चल रही है । प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाह रहा है । इसलिए निस्ताण में विलम्ब किये जने की मन्शा से मनघढन्त एवं कपोल कल्पित आरोप लगा कर यह मुन्तकित प्रार्थना पत्र पेश किया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। अत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर रखा है । पत्रावली राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 कैम्प निवारू में दिनांक 06.12.2021 को रखी गई थीं । वर्तमान में प्रकरण तनकीयात में नियत है। अप्रार्थीगण की प्रार्थी से हुई तथाकथित वार्ता का पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही न्यायिक कार्यवाही से कोई वास्ता नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कैम्प में पत्रावली रखे जाने मात्र से ही पत्रावली को अन्यत्र मुन्तकिल किया जाना कोई आधार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने भी अपनी टिप्पणी में आरोपों का खण्डन किया है। सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उपखण्ड

जिला कलक्टर जयपुर

अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुत्तफिक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को बरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर